

उच्च शिक्षा विभाग की ओर से स्नातक एवं स्नातकोत्तर में एकीकृत छात्रवृत्ति योजना प्रदाय की जाती है स्नातक हेतु कक्षा 12 में 55 प्रतिशत एवं स्नातकोत्तर में स्नातक के 50 प्रतिशत होना अनिवार्य है एवं पालक की आय 75000/- से अधिक नहीं होना चाहिये इस छात्रवृत्ति के साथ अन्य कोई छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्रदाय नहीं किया जायेगा।